

<u>दिनाँक 17.12.20</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र कारत्स सहित गिरफ्तार किया गया।



प्रेस नोट थाना नीमगांव जनपद खीरी

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय स्वीरी के जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरप्तारी के आदेश अनुपालन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.12.2020 को प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र सिंह मय उ०नि० हनुमन्त लाल तिवारी मय हमराह हैं0का0 देवीदयाल, का० मनीप सिंह व का० अनुपम पाण्डेय के थाना हाजा से खाना होकर देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी वारण्टी में मामूर थे कि मुखाबिर खास ने आकर सूचना दी कि थाना हाजा पर पंजीकृत हुए गैंगेस्टर एवट के मुकंद्रमें के तीनों अभियुक्तों सेहरूआ मोड़ के पास वहद ब्राम सेहरूवा थाना नीमगांव जनपद स्वीरी में हैं। मुखाबिर खास की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वाले वहां पहुँचे तो देखा कि वह तीनों आपस में कुछ बात-चीत कर रहें हैं। हम पुलिस वालों ने मौका पाकर तीनों व्यक्तियों को एक बारगी दिवश देकर पुलिस हिरासत में ले लिया। पकड़े गये पहले न्यक्ति नमतीन से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, दूसरे न्यिक नाम सोमीन से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त बाबू अली पुत्र मोहर्रम अली निक्राम पिपरा थाना नीमगांव जनपद सीरी के कन्द्र मु०अ०सं० 361/20 धारा 3/25 आमर्स एवट की कार्यवाही की गयी। अभियुक्तगण 1. मतीन 2. सोमीन 3. बाबू अली उपरोक्त मु०अ०सं० 359/20 धारा 2स्व(17)/3 गैंगेस्टर एवट की वांछित अपराधी है।

नाम पता गिरपतार अभियुक्तगण व अपराधिक इतिहास-

१. मतीन पुत्र जियाउटला निक्राम संयपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद सीरी अपराधिक इतिहास- मु०अ०सं० १७४/१९ धारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि० व ११ पशु द्वारता अधि० मु०अ०सं० २८३/१९ धारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि० मु०अ०सं० २८३/१९ धारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि०

 सोमीन पुत्र जियाउटला नि०ग्राम रायपुर घुंशी थाना नीमगांव जनपद स्वीरी
 अपराधिक इतिहास- मु०अ०सं० १७४/१९ थारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि० व ११ पशु कुरता अधि० मु०अ०सं० २८३/१९ थारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि० मु०अ०सं० २८३/१९ थारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि०

3. बाबू अती पुत्र मोर्हरम् अती निक्राम पिपरा थाना नीमगांम जनपद स्वीरी अपराधिक इतिहास- मु०अ०सं० १७४/१९ धारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि० व ११ पशु कुरता अधि० मु०अ०सं० २८३/१९ धारा ३/५ए/८ गोवध निवा० अधि०

गिरपतारी का दिनांक – 17.12.2020 समय – 03.00 AM दि०सू०- 17.12.2020 समय 05.26 AM घटनास्थल – सेहरूवा चौराह के पास वहद ब्राम सेहरूवा थाना नीमगांव जनपद सीरी

बरामद माल का विचरण- ०२ अदद अवैध देशी तमंचा ३१५ बोर मय ०४ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर

पुलिस टीम थाना नीमगांव जनपद स्वीरी

- प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र सिंह
- 2. उ०नि० हनुमन्त लाल तिवारी
- 3. हे०का० देवीदयाल
- ४. का० मनीप शिंह
- ५. का० अनुप्रम पाण्डेय

थाना निघासन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के ईनामी शातिर अभियुक्त मजहर पुत्र मंगरे को अवैध नशीले 400 ग्राम (नाइट्राजीपाम) पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया





प्रेस विज्ञप्ति कोतवाली निघासन जनपद खीरी *गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रूपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत श्रीमान क्षेत्राधिकारी निघासन/धौरहरा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक निघासन के नेतृत्व में थाना कोतवाली निघासन पुलिस बल के द्वारा दिनांक 17.12.2020 को बल्लीपुर मोड़ पलिया रोड़ सलीमाबाद चौराहा से मुखबिर की सूचना पर 400 ग्राम नाइट्राजीपाम नशीला पाउडर के साथ गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000/- रूपये का ईनामी शातिर अपराधी को दिनांक 17.12.2020 को समय करीब 03.30 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण –

मजहर पुत्र मंगरे निवासी ग्राम गदियाना मजरा बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

<u>*गिरफ्तार अपराधी के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण -*</u>

मु0अ0सं0 891/2020 धारा 8/21 NDPS एक्ट थाना निघासन जनपद खीरी

गिरफ्तार अपराधी के कब्जे से बरामद नशीला पाउडर का विवरण –

एक प्लास्टिक पालिथीन में लगभग 400 ग्राम नाइट्राजीपाम नशीला पाउडर वरामद

घोषित पुरस्कार की धनराशि - 25000/- रूपये

गिरफ्तार अपराधी का अपराधिक इतिहास –

- 1. मु0अ0स0 266/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
- 2. मु0अ0सं0 295/2020 धारा 2(ख)17/3 यू0पी0 गैगस्टर एक्ट
- 3. म्0अ0सं0 891/2020 धारा 8/21 NDPS एक्ट

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम विवरण-

- 1. प्र0नि0 डी0के0 सिंह
- 2. उ0नि0 राहुल सिंह
- 3. का0 जयप्रकाश यादव
- 4. का0 मो0अली खान
- 5. का0 अमर कौशिक
- 6. का0 सूर्यप्रभाकर
- 7. का0 छत्रपाल

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा टॉप 10 शातिर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त महताब पुत्र साबिर को अवैध नशीले पदार्थ सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट थाना सिंगाही जनपद खीरी

थाना सिंगाही की पुलिस द्वारा 3540 देबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबन्धित व नशीला पाउंडर 142 ग्राम अवैध के साथ एक नफर अभियुक्त महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वाही थाना सिगाही स्वीरी टाप देन प्रचलित दुराचारी(HS न0 160A) थाना सिगाही जिला स्वीरी गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर म0310स0 439/2020 थारा 8/22 NDPS ACT पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय स्वीरी के निर्देशन में चलाये जा रहे सघन अभियान वाछित / वारन्टी अपराधी व सिदेग्ध व्यक्ति वस्तु से संबंनिधत गिरपतारी के अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय निधासन के निर्देशन में थानाध्यक्ष सिंगाही श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की जा रही सघन वेकिंग के दौरान आज दिनांक 17.12.2020 को एक नफर अभियुक्त को गिरपतार किया गया विस्तृत विवरण निम्नवत हैं।

घटना का विवश्ण

आज दिनांक 17.12.2020 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शिख, उ०नि० श्री व्यास यादव ,का० सौरम कुमार ,का० अरुण कुमार के विनावर देसभात क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम एवं तताश वांछित/वारण्टी अपराधी में मामूर था जब हम पुलिस वाले वलेशदरण तिराहे पर पहुंचे तो अभियुक्त महताब पुत्र साबिर नि० ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्धाही थाना शिगाही जिला सीरी आता हुआ दिखाई दिया पुलिस वालों को देखकर वापस मुडकर तिकुनिया रोड को जाने लगा शक सिर्वेश व्यक्ति होनो पर रुकने को कहा तो नहीं रुका तो पुलिस बल द्धारा दौडकर धेरकर 08.05 बजे पकड़ लिया नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम महताब पुत्र साबिर नि० ग्राम बाजारपुरवा H/O हरव्दाही थाना शिगाही सीरी उम्र 32 वर्ष बताया जिसके कब्जे से 3540 टेबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबन्धित व नशीता पाउडर 142 ग्राम अवैध बरामद किया गरा। तथा अभियुक्त महताब पुत्र शाबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा थाना सिगाही सीरी को गा० न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु समय से पेश किया जा रहा है।

गिरपतार अभियक्त का विवरण

महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा H/O हरद्वाही थाना सिगाही स्वीरी टाप टेन प्रचलित दुराचारी(HS न0 160A) थाना सिगाही जिला स्वीरी

बरामदगी

अभि० महताब पुत्र साबिर निवासी ग्राम बाजारपुरवा थाना सिमाही खीरी के 3540 टेबलेट ALPRASAFE-0.5 प्रतिबंनिधत व नशीला पाउडर 142 ग्राम अवैध बरामद होना

बरामदभी स्थल समय व दिनांक

बरागदभी स्थल- वलेशहरण तिराहा बहद ग्राम हरद्वाही थाना सिगाही खीरी दिनाक १७.१२.२०२० समय ०८.०५ बजे

आपराधिक इतिहास

DISO(\$)	मु0310210	द्यारा	थाना
1.	72/2018	2/3 UP गैगस्टर	थाना शिभारी
2.	179/2017	395/397/506 IPC ₹ 412 IPC	થાના સિગાઢી
3.	274/2017	394/411IPC ·	थाना शिगाही
4.	38A/99	323/324/504 IPC	थाना शिगारी
5.	541/10	198ZLR Ac	थाना सिगारी थाना कोतवाली जिला गोन्डा
6.	858/2011	379/411 IPC	

पुलिस टीम 1.) थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिह (२)उ०नि० श्री न्यास यादव (३.)का० सौरभ कुमार (४) का० अरुण कुमार थाना सिंगाही स्वीरी

थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा टॉप 10 शातिर अभियुक्त सरताज को अवैध शस्त्र कारत्स सहित किया गया गिरफ्तार



<u>प्रेस नोट</u> याना फुलबेहड का टाप 10 का अपराधी गिरफ्तार

दिनाँक 17.12.2020 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय के द्वारा मौजूदा समय मे 10 मुकदमों से अधिक अपराधिक इतिहास वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, अपर पुलिस अधीक्षक खीरी व क्षेत्राधिकारी धौरहरा महोदय के दिशा निर्देशन में थाना फूलवेहड पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर ग्राम नरी के पास से समय करीब 13.42 पर 01 नफर अभियुक्त (जो बाना स्थनीय का टाप 10 का अपराधी है) सरताज पुत्र गफूर निवासी घोसियाना थाना फूलवेहड़ खीरी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01अदद अवैध देशी तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूश 12 बोर का बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 487/2020 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

🕨 सरताज पुत्र गफूर निवासी घोसियाना थाना फूलबेहड़ खीरी उम्र 40 वर्ष

बाना स्वानीय पर पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 487/2020 धारा 3/25 आर्मस अधिनियम

विश्वक्त के कब्जे से बरामदगी

- अवैध तमन्चा 12 बोर 01 अदद
- अवैध जिन्दा कारत्श 12 बोर 01 अदद

विभयुक्त का वपराधिक इतिहास

1.मु0310210 72/2009 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फूलबेहड खीरी
2.मु0310स0 73/2009 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलबेहड जिला खीरी
3.मु0310स0 98/2009 धारा 307 भादिव0 थाना फूलबेहड जिला खीरी
4.मु0310स0 99/2009 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फूलबेहड खीरी
5.मु0310स0 1133/2011 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फूलबेहड जिला खीरी
6.मु0310स0 897/2014 धारा 380/511 भादिव0 थाना फूलबेहड जिला खीरी
7.मु0310स0 165/2015 धारा 379/411 भादिव0 थाना फूलबेहड जिला खीरी
8.मु0310स0 44/2017 धारा 3(1) गुण्डा एक्ट थाना फूलबेहड जिला खीरी
9.मु0310स0 383/2017 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना फूलबेहड जिला खीरी
10.मु0310स0 384/2017 धारा 41/411/413 भादिव0 थाना फूलबेहड जिला खीरी
11.मु0310स0 375/2019 धारा 457/380/411 भादिव0 थाना फूलबेहड जिला खीरी

गिरफ्तारी/बरामदगी मे शामिल पुलिस टीम का नाम व पद

1.श्री श्याम नारायण सिंह प्रभारी निरीक्षक फूलबेहड खीरी
2.30नि0 श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय थाना फूलबेहड खीरी
3.का0 पुष्पेन्द्र यादल थाना फूलबेहड खीरी
4.का0 यतेन्द्र कुमार सिंह थाना फूलबेहड खीरी

थाना भीरा पुलिस द्वारा 15,000-15,000 रुपये के इनामिया 02 शातिर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस विज्ञप्ति थाना भीरा खीरी

थाना भीरा पुलिस द्रवारा 15000-15000 रु0 के दो इनामिया व मु0अ0सं0-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा0द0वि0 थाना भीरा के वांछित व मु0अ0सं0536/2020धारा 3/25 आर्म एक्ट,537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट से संम्बन्धित अभियुक्त 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि0 गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को गिरमार किया गया

विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं श्रीमानं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान वांछिट वारंटी अवैध शस्त्र के विरुध अभियान के तहत आज दिनांक: 17.12.2020 को मुखविर की सूचना पर ग्राम रामनगर में शारदा नदी घाट के पास से भीरा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि0 गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी को अवैध शस्त्र 315 बोर का तमंचा व 1 अदद 315 बोरपजिन्दा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक 12 बोर अवैध तमंचा व 2 अदद जिन्दा 12 बोर कारतूसके साथ गिरफ्तार कर थाना भीरा पर नियमानुसार मु0अ0सं0 536/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट व मु0अ0सं0 537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा ज रहा है।

बरामदगी का विवरण

अभि0 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि0 गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा व1 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि0 गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी के कब्जे से 12 बोर तमंचा व 2 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 536/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट मु0अ0सं0 537/2020 धारा 3/25 आर्म एक्ट

अभियुक्त का विवरण

- 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि0 गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी
- 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि0 गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी

आपराधिक इतिहास

- 1.वारिस अली उर्फ बंगाली पुत्र सद्दीक मुखिया नि0 गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी
- 1.मु0अ0सं0-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा0द0वि0 थाना भीरा
- 2.मु0अ0सं0 536/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा खीरी
- 2. जाहिद अली उर्फ गुवरे पुत्र मुखिया नि0 गण गदियाना बल्लीपुर थाना निघासन जनपद खीरी2.4.
- 1.मु0अ0सं0-362/2018 धारा 147/148/149/307/506/427भा0द0वि0 थाना भीरा
- 2.मु0अ0सं0 537/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना भीरा खीरी

थाना सिंगाही पुलिस द्वारा शातिर हिस्ट्रीशीटर सुखविंदर को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार



प्रेस नोट थाना सिंगाही जनपद खीरी

थाना सिंगाही की पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक नफर अभियुक्त को निरपतार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना सिंगाही पर मु०३०२० ४३४/२०२० धारा ३/२५ A ACT पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय स्वीरी के निर्देशन में चलाये जा रहे सघन अभियान वाछित / वारन्टी अपराधी व सदिम्थ व्यक्ति वस्तु से संबंभियत गिरपतारी के अभियान में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय निधासन के निर्देशन में थानाध्यक्ष सिंगाही श्री प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आज दिनांक 11.12.2020 को एक नफर अभियुक्त को गिरपतार किया गया विस्तृत विवरण निम्नवत है।

घटना का विवरण

आज दिनांक 11.12.2020 को थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिह, 30नि० श्री अंसार हुसैन रिजवी , का० सौरभ कुमार , का० अरुण यादव के विनावर देखभात क्षेत्र व रोकथाम जुर्म जरायम एवं तताश वांछित/वारण्टी अपराधी में मामूर था जब हम पुलिस वाले ग्राम सिंगहासुर्द से ग्राम सिंधौना की तरफ अयोध्यापुरवा पुल के पास पहुंचे तो ग्राम सिंधौना की तरफ से पुल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया जो हम पुलिस वालों को देखकर पीछे मुडकर तेज कदमों से चलने लगा जिसको हम पुलिस वालों ने घेर घार कर समय करीब 08.00 बजे सुबह पकड़ लिया | जिसने अपना नाम सुखविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र शर्मा निवासी ग्राम दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी बताया जिसके कन्जे से एक तमंचा 12 वोर व दो जिन्दा कारतूस 12 वोर के गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त सुखविन्दर उर्फ पप्पू के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरपतार अभियुक्त का विवरण

।. सुरवविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र भर्मा निवासी ग्राम दलराजपुर थाना शिंगाही जनपद खीरी

वरामदर्गी

अभि० सुस्वविन्दर उर्फ पप्पू पुत्र शर्मा निवासी ग्राम दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना

बरामदगी स्थल

बरामदगी स्थल- अयोध्यापुरवा पुल के पास बहुद ग्राम अयोध्यापुरवा

अभि() सुखविन्दर उर्फ पप्पू का अपराधिक इतिहास

- 1. 38A/1999 धारा 324/323/504 भादवि थाना सिंगाही
- 2. 541/2010 धारा 198ZLR ACT थाना शिंगाही
- 3. 131/2019 धारा 60(2) आबकारी अधि० थाना रिांगाही
- ४. १८३/२०१९ धारा ३२३/५०४/५०६ भादवि थाना सिंगाही
- ५. ३५८/२०१९ धारा ३२३/५०४/५०६/भादवि, ३(१)द(ध) एससी/एसटी एक्ट थाना सिंगाही
- 6. 190/2020 धारा 323/353 भादवि थाना सिंगाही
- ७. १९१/२०२० घारा ६० आबकारी अधि० थाना सिंगाही
- ८. १९३/२०२० धारा ३/२५ आयुध अधि० थाना शिंगाही

पुलिस टीम - (1.)SO श्री प्रदीप कुमार सिंह, (2.)30नि० श्री अंसार हुसैन रिजवी, (3.)का० सौरभ कुमार, (4.) का० अरुण कुमार थाना सिंगाही खीरी

14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही, 03 शातिर अभियुक्तों की लगभग 36 लाख रुपये कीमत की संपत्ति जब्त की गई।





प्रेस नोट

थाना मोहम्मदी क्षेत्र के गिरोहबंद अपराधियों के विरूद्ध की गयी कडी कार्यवाही, लाखों की सम्पत्ति कुर्क

संक्षिप्त विवरण

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, खीरी के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही हेतु प्राप्तशुदा दिशा निर्देश के अनुपालन में एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.12.2020 को थाना मोहम्मदी के प्रभारी निरीक्षक श्री ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, व प्रभारी निरीक्षक पर्सगवां, श्री आदर्श कुमार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 175/2020 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, थाना मोहम्मदी, से सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा भा0द0वि के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराधों को अभ्यस्त रूप से कारित करते हुए आर्थिक व भौतिक लाभ से अर्जित की गयी चल /अचल सम्पत्ति की तस्दीक करते हुए नियमानुसार श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट लखीमपुर खीरी से अनुमोदन उपरान्त 14(1) गैगस्टर एक्ट की कार्यवाही के तहत सम्पत्ति कुर्क की गयी है। अभियुक्तगण का नाम पता व कुर्क की गयी अवैध अर्जित सम्पत्ति का विवरण निम्नवत् है-

- 1- साजिद उर्फ बाबू पुत्र नूर मोहम्मद नि0 ग्राम मोहम्मदपुर, थाना मोहम्मदी, खीरी।
 - A. मो०सा० नं0 UP31AU2186 कीमती 55 हजार रूपये
 - B. खाता सं0 777, गाटा संख्या 1353, रकबा 0.253हे0 (करीब 03 बीघा) अनुमानित कीमत 22 लाख रूपये।
- 2- सत्तार पुत्र बुद्धू बंजारा नि0 ग्राम गरदहा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।
 A. 15*10 वर्ग फिट कच्चा मकान कीमत 2 लाख रूपये
- 3- मंगलू बंजारा पुत्र हेतम नि0 ग्राम गरदहा, थाना मोहम्मदी, जनपद खीरी।
 - A. 20*18 वर्ग फिट टीन सेड कीमत 3,00000 (तीन लाख रूपये)
 - B. खात सं0 240, गाटा सं0 313 रकबा0.138 करीब 2 बीघा कीमती 08 लाख रूपये।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों पर की गई 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 07 अभियुक्तों 1. मो0 अहमद उर्फ कल्लू 2. रजी अहमद 3. वली अहमद पुत्रगण रफीउल्ला 4. मुन्ना 5. रफीउल्ला 6. मसरुर 7. नसीउल्ला पुत्रगण हफीउल्ला नि0गण बेला तुरिसया थाना मोहम्मदी जनपद खीरी के विरुद्ध 2/3 यूपी गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। उक्त तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के लिए राजनैतिक एवं भौतिक लाभ के लिए गैंग बनाकर हत्या किए जाने के कारण उपरोक्त कार्यवाही की गई है।

थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारत्स सहित वयाम् पुत्र राकेश को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त वयामू पुत्र राकेश नि0 बड़ागांव बसहा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 629/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु030सं0 1280/20 धारा 279/304ए भादिव व 184 एमवी एक्ट में वांछित अभियुक्त राकेश पुत्र छोटेलाल नि0 सीता विहार थाना काकोरी जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1282/20 धारा 143/147/149/336/435/427/504/506/353/341/220 भादिव व धारा 20 यूपी महामारी अधि0 में वांछित अभियुक्त वाद प्रताप पुत्र उमेश प्रताप नि0 शान्तिनगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफतार किया गया।
- थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु030सं0 1286/20 धारा 323/504/506/285/326 भादिव में वांछित अभियुक्त शिल्पी पत्नी अजय उर्फ सोन् नि0 छाउछ थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 166 लीटर अवैध कच्ची शराब, 05 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना तिकुनिया	55 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना सिंगाही	33 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैलानी	28 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना धौरहरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना फूलबेहड़	10 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना खीरी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना हैदराबाद	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	166 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार